(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 03 / 2025

रजिस्ट्रेशन नं0:– 2025 / 14

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जरिये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ

(सायल)

बनाम

संजय उर्फ बन्टी उम्र 29 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश जाति धाकड निवासी पुराने थाने के पीछे सीसवाली जिला बाराँ (राज.)

(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)

2– अनुपस्थित (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 09.06.2025

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल संजय उर्फ बंटी पुत्र ओमप्रकाश जाति धाकड निवासी पुराने थाने के पीछे सीसवाली जिला बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना सीसवाली क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। गैरसायल अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थ तस्करी, चोरी, जुआ–सट्टा के अपराधों का आदि है। इसके विरूद्व पुलिस थाना सीसवाली में वर्ष 2016 से 2025 तक कुल 07 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। जिनमे से एक्साईज एक्ट मे 01 प्रकरण, अवैध मादक पदार्थ तस्करी मे 01 प्रकरण, 01 प्रकरण भादस एवं 04 प्रकरण जुआ–सट्टा एक्ट का दर्ज है। उक्त प्रकरणों में से जुआ–सट्टा के 04 प्रकरणों मे गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को कुल 04 [illegible] न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जाकर इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासा को दिनांक 02.04.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया। प्रकरण मे गैरसायल दिनांक 20.05.2025 को एवं 26.05.2025 को स्वयं उपस्थित हुआ। इसके पश्चात आगामी नियत पेशी दिनांक 09.06.2025 को अनुपस्थित रहने पर प्रकरण मे सरकार पक्ष अभियोजन अधिकारी की अंतिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:44:21 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना सीसवाली में वर्ष 2016 से 2025 तक कुल 07 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। जिनमे से एक्साईज एक्ट मे 01 प्रकरण, अवैध मादक पदार्थ तस्करी मे 01 प्रकरण, 01 प्रकरण भादस एवं 04 प्रकरण जुआ–सट्टा एक्ट का दर्ज है। उक्त प्रकरणों में से जुआ–सट्टा के 04 प्रकरणों मे गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

प्रकरण मे अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एकपक्षीय बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कवाई में वर्ष 2016 से 2025 तक कुल 07 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। जिनमे से एक्साईज एक्ट मे 01 प्रकरण, अवैध मादक पदार्थ तस्करी मे 01 प्रकरण, 01 प्रकरण भादस एवं 04 प्रकरण जुआ–सट्टा एक्ट का दर्ज है। उक्त प्रकरणों में से जुआ–सट्टा के 04 प्रकरणों मे गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि संजय उर्फ बंटी पुत्र ओमप्रकाश जाति धाकड निवासी पुराने थाने के पीछे सीसवाली जिला बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को कुल 04 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल संजय उर्फ बंटी पुत्र ओमप्रकाश जाति धाकड निवासी पुराने थाने के पीछे सीसवाली जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र, सीसवाली से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूॅ।

गैरसायल संजय उर्फ बंटी पुत्र ओमप्रकाश जाति धाकड निवासी पुराने थाने के पीछे सीसवाली जिला बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना क्षेत्र सीसवाली से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, मांगरोल जिला बारॉ को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 25.06.2025 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मॉगरोल, जिला बारॉ को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली को तहरीर दी जावे जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना सीसवाली क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर थानाधिकारी पुलिस थाना मॉगरोल, जिला बारॉ के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:44:21 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ